राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
36वीं बैठक - दिनांक : 23 फरवरी, 2011 के कार्य बिंदु

कार्य बिंदु संख्य - 1

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त (एफ.आर.डी.सी.), उत्तराखंड शासन ने राज्य के पहाड़ी जिलों का ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने हेतु ब्लाक स्तर पर बी.एल.बी.सी. बैठकों को और प्रभावी रुप से करने हेतु निर्देशित किया और इन बैठकों में क्षेत्र के विकास हेतु संभावित कार्ययोजना (Action Plan) तैयार कर, ऋण प्रवाह बढ़ाने पर रेखीय विभाग एवं अग्रणी जिला प्रबंधक कार्रवाई करें।

(कार्रवाई - समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक / रेखीय विभाग)

कार्य बिंदु संख्या - 2

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त (एफ.आर.डी.सी.), उत्तराखंड शासन ने सभी बैंकों को उनके यहाँ खोले गए नो-फ्रिल खाताधारकों को किसान क्रेडिट कार्ड / आर्टिजन क्रेडिट कार्ड / स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड जारी करें एवं स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाली ऋण राशि को बढ़ाएं। साथ ही कृषि एवं उद्यान विभाग को निर्देशित किया कि वह क्षेत्र के अऋणी कृषकों की सूची संबंधित बैकों / अग्रणी जिला प्रबंधकों को एक माह के अंदर उपलब्ध कराए।

(कार्रवाई - निदेशक, कृषि / निदेशक, उद्यान / समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक)

कार्य बिंदु संख्या - 3

प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन ने संबंधित बैंकों से पुनः अनुरोध किया कि सभी बैंकिंग सुविधारहित अटल आदर्श ग्राम एवं 2000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में मूलभूत बैंकिंग सेवाएं शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करवाएं क्योंकि अभी तक इसकी प्रगति अपेक्षाकृत बहुत कम है और इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। सभी बैंकों को वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय स्तर के बिजनेस कारेस्पोंडेण्ट को अपने-अपने बैंक के साथ अनुबंधित करना पड़ेगा।

(कार्रवाई - संबंधित बैंक नियंत्रक)

कार्य बिंदु संख्या - 4

राज्य सरकार एवं बी.एस.एन.एल. से अनुरोध किया गया कि सभी अटल आदर्श ग्राम एवं 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँव में ब्रॉड बैण्ड / जी.पी.आर.एस. की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु शीघ्र कार्रवाई करें।

(कार्रवाई - मुख्य महाप्रबंधक, बी.एस.एन.एल. / वित्त विभाग, राज्य सरकार)

कार्य बिंदु संख्या - 5

अध्यक्ष महोदय ने उद्यान विभाग को निर्देशित किया कि जड़ी-बूटी के कृषिकरण हेतु चयनित किए गए 300 क्लस्टर / ग्रामों की सूची बैंकों और अग्रणी जिला प्रबंधकों को उपलब्ध कराएं और इच्छुक कृषकों के आवेदन पत्र (प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित) संबंधित बैंकों की शाखाओं को ऋण प्रदान करने हेतु प्रेषित करें। उन्होंने निदेशक, हर्बल रिसर्च एण्ड डेवलॉप्मेन्ट इन्स्टीट्यूट (HRDI), गोपेश्वर को निर्देशित किया कि वह कृषकों को जड़ी-बूटी के कृषिकरण हेतु प्रशिक्षण एवं प्लांटिंग मैटिरियल भी प्रदान करें।

(कार्रवाई - उद्यान विभाग / निदेशक, एच.आर.डी.आई. / अग्रणी जिला प्रबंधक)

कार्य बिंदु संख्या - 6

उद्यान विभाग द्वारा 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले '' पॉली हाउस '' में संरक्षित खेती करने के लिए इच्छुक कृषकों के आवेदन पत्र (प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित) संबंधित बैंकों की शाखाओं को ऋण प्रदान करने हेतु प्रेषित करें। अध्यक्ष महोदय ने निदेशक (उद्यान) को निर्देशित किया कि '' पॉली हाउस '' स्थापित करने हेतु वर्ष 2011-12 के लिए क्लस्टर आधारित जिलेवार / बैंकवार लक्ष्य निर्धरित करें और इसकी सूची अग्रणी जिला प्रबंधकों एवं संयोजक, एस.एल.बी.सी. को प्रेषित करें।

(कार्रवाई - निदेशक, उद्यान / समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक)

कार्य बिंदु संख्या - 7

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त (एफ.आर.डी.सी.), उत्तराखंड शासन ने ग्राम्य विकास विभाग को निर्देशित किया कि शेष **पाँच जिलों (टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल व चम्पावत) में आरसेटी** हेतु आवासीय भवन के निर्माण के लिए एक माह के अंदर समुचित भूमि आवंटित / हस्तांतरित कराने की व्यवस्था करें और उन्होंने सभी निदेशक (आरसेटी) को जिलाधिकारी से संपर्क कर इस प्रकरण में तीव्रता लाने को कहा।

(कार्रवाई - ग्राम्य विकास विभाग / समस्त निदेशक, आरसेटी)

कार्य बिंदु संख्या - 8

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सदन को अवगत कराया कि आर.बी.आई. के निर्देशानुसार, एस.एल.बी.सी. बैठक को अधिक प्रभावी बनाने में संयोजक बैंक के अतिरिक्त अन्य बैंकों की भी प्रमुख भूमिका होती है। अतः सभी बैंक अपनी सफलताओं एवं उपलब्धियों को आगामी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक के एजेण्डा में सम्मिलित करने हेतु संयोजक को प्रेषित करें। बैंक एवं नाबार्ड अपनी सफलता की कहानी (Success Story), यदि कोई हो, तो उसे आगामी एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड में प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित करें।

(कार्रवाई -समस्त बैंक नियंत्रक / नाबार्ड / अग्रणी जिला प्रबंधक)

कार्य बिंदु संख्या - 10

प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन ने सदन को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में मानसून अवधि के दौरान हुई अतिवृष्टि से खरीफ की फसलों को अत्याधिक नुकसान के कारण शासनादेश संख्या 1060 / XVIII (2) / 10-14 (1) / 2007 दिनांक 12 सितम्बर, 2010, के अनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा कृषकों के मुख्य देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है। इसी क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र संख्या RPCD / PLFS / BC 1 / 05.04.02 / 10-11 दिनांक 07 जुलाई, 2010 के अनुपालन में सभी बैंक खरीफ फसली ऋण 2009-10 को 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए पुर्नसंरचित (Restructure) करने हेतु संयोजक, एस.एल.बी.सी. के माध्यम से सदन की पुष्टि हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिस पर सभी प्रतिभागियों द्वारा सर्वसम्मति से कार्रवाई करने हेतु सहमति व्यक्त की गई।

(कार्रवाई - भारतीय रिजर्व बैंक / समस्त बैंक)

कार्य बिंदु संख्य - 11

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार से सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं नरेगा के भुगतान हेतु बैंकों की कम्प्यूट्रीकृत प्रणाली (Core Banking System) में खोले गए लाभार्थियों के खातों में इलैक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर (EFT) द्वारा संबंधित बैंकों के साथ राशियों को ऑन-लाईन (On Line) अंतरण करने की शीघ्र व्यवस्था करें।

(कार्रवाई - राज्य सरकार के संबंधित विभाग)

कार्य बिंदु संख्या - 12

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि पहाड़ों पर कृषि / उद्यानी उपजों के भण्डारण एवं विपणन की समस्या रहती है, जिसके निराकरण हेतु राज्य सरकार / बैंक, कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग एवं विपणन समूहों को प्रोत्साहित करें।

(कार्रवाई - राज्य सरकार के संबंधित विभाग / समस्त बैंक)

कार्य बिंदु संख्या - 13

सभी बैंक नियंत्रक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक से आग्रह किया गया कि माह मार्च, 2011 तक के एस.एल.बी.सी. के आँकड़ों का विवरण (SLBC Return 1 to 48), राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को दिनांक 20 अप्रैल, 2011 तक ई-मेल (agmslbc.zodeh@sbi.co.in) द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा पिछली त्रैमास के आँकड़े दोबारा सम्मिलित कर दिए जाएंगे। आगामी एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड की बैठक 18 मई, 2011 को प्रस्तावित है।

(कार्रवाई - समस्त बैंक नियंत्रक / समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक)

****